

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ**

पत्रांक : 1832/2एम0-एल0वृत्त/2017-18

दिनांक : 15 अप्रैल, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

इस कार्यालय के ज्ञाप सं0 3600/2एम0-एल0वृत्त/2015-16. दिनांक 29.05.2015 द्वारा इस वृत्तान्तर्गत मार्ग एवं भवन निर्माण कार्यों हेतु शेड्यूल आफ रेट्स निर्गत किया गया था, जो दिनांक 01.06.2015 से प्रभावी माना गया था। वर्तमान में श्रमिक एवं सामग्री की दरों में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप शेड्यूल आफ रेट्स के चैप्टर-3 की कॉर्टेज मद की दरों का पुनःनिर्धारण किया जाना अवश्यम्भावी हो गया है। दरों के पुनः निर्धारण पर व्यापक विचार-विमर्श किये जाने हेतु दिनांक 15.04.2017 को पूर्वाह्न 12.00 बजे से इस कार्यालय में बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्न अधिकारियों ने प्रतिभाग किया :-

1. ई0 संजय कुमार गोयल, अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. ई0 राजीव कुमार, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. ई0 धर्मवीर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. ई0 अशोक कनौजिया, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. ई0 अरविन्द कुमार, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रायबरेली।
6. ई0 अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, रायबरेली।
7. ई0 जय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, रायबरेली।

अतः लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल ऑफ रेट्स के चैप्टर-3 की कॉर्टेज मद की दरों का पुनःनिर्धारण उच्च-स्तर से प्राप्त निर्देशों तथा उपस्थित अभियन्ताओं द्वारा सर्व-सम्मति से लिये गये निर्णय के आधार पर वर्ष 2017-18 के लिए संलग्न सूची के अनुसार किया जाता है। यह दरें दिनांक 15.04.2017 से प्रभावी होंगी। यह दरें आगणन गठन के लिए मान्य होंगी। वित्तीय नियमों के अनुसार कार्य नियमानुसार प्राप्त की गयी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ही सम्पादित कराया जाय।

संलग्नक :- सूची-01 पृष्ठ में।

ह0

( संजय कुमार गोयल )

अधीक्षण अभियन्ता

लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ

क्रमशः ..... पृष्ठ-2





### CHAPTER-3 (CARTAGE)

S. NO.	DESCRIPTION OF WORK	PWD Specification	Rate of Cartage	
			Per Cum/Km	Per Cum (Cummu.)
1	2	3	4	5
231 (a)	Cartage of Ballast, Kankar, Coal, Grit or Sand etc, including loading and unloading but excluding stackings on pucca roads.	3.1		
	1st k.m.		95.00	95.00
	2nd k.m.		22.70	117.70
	3rd k.m.		20.20	137.90
	4th k.m.		18.30	156.20
	5th k.m.		16.80	173.00
	6th k.m.		15.60	188.60
	7th k.m.		14.60	203.20
	8th k.m.		13.80	217.00
	9th k.m.		13.10	230.10
	10th k.m.		12.50	242.60
	11th k.m.		12.00	254.60
	12th k.m.		11.60	266.20
	13th k.m.		11.30	277.50
	14th k.m.		11.00	288.50
	15th k.m.		10.70	299.20
	16th k.m.		10.50	309.70
	17th k.m.		10.30	320.00
	18th k.m.		10.10	330.10
	19th k.m.		9.90	340.00
	20th k.m.		9.80	349.80
	21st k.m.		9.60	359.40
	22nd k.m.		9.50	368.90
	23rd k.m.		9.40	378.30
	24th k.m.		9.30	387.60
	25th k.m.		9.20	396.80
	26th k.m.		9.10	405.90
	27th k.m.		9.00	414.90
	28th k.m.		9.00	423.90
	29th k.m.		8.90	432.80
	30th k.m.		8.80	441.60
	31st to 40 k.m.		8.50	-
	41st to 50 k.m.		8.30	-
	51st to 75 k.m.		8.00	-
	76th to 100 k.m.		7.50	-
	101st to 200 k.m.		7.00	-
	201st to onwards		6.00	-
S.I. No.	DESCRIPTION OF WORK	P.W.D. Specification	RATE METRIC SYSTEM	
1	2	3	4 UNIT	5 RATE
235 (a)	Loading and unloading of material like Ballast, Kankar, Coal or Grit etc, excluding their stacking.	3.5		
	(i) Loading		Per Cum	33.00
	(ii) Unloading		Per Cum	17.00

**FOOT NOTE :-**

1. Lead To & Fro has been taken in consideration when deciding the Cartage.
2. For kachcha Roads : After deduction loading and unloading charges add 33-1/3% on the above rates for S.I. No. 231 (a).
3. Contractor Profit 10% inclusive in all above rates.

  
 ( संजय कुमार गोयल )  
 अधीक्षण अभियन्ता,

 लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, लो०नि०वि०, अनुभाग-12, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य मूल्यांकन एवं रचना प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ।
7. उप-निदेशक, उ०प्र० राज्य मण्डी परिषद, मण्डी भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
9. प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (भवन), उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (पी०एम०जी०एस०वाई०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (..... क्षेत्र), लो०नि०वि०, .....।
13. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।
14. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण मार्ग विकास अभिकरण (गन्ना संस्थान), न्यू बेरी रोड, लखनऊ।
15. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
16. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
17. उप-निदेशक, उ०प्र० राज्य मण्डी परिषद, मण्डी भवन, लखनऊ।
18. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/यातायात/अम्बेडकर सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
19. अधीक्षण अभियन्ता, ..... वृत्त, लो०नि०वि०, .....।
20. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-1/2, लो०नि०वि०, लखनऊ/रायबरेली।
21. अवर अभियन्ता (प्रा०), लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ।

On 15/4/17  
अधीक्षण अभियन्ता,  
लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ